फर्द अहकाम

कैलाश बनाम दिनेश वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (जयपुर)

प्रकरण संख्या .....23...../2026 प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

GCMS/RRCMS NO: 2026/ 57

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09/03/26	पक्षकार प्रेषित। वि0 प्रस्तुत गवाहियाँ पालना के पश्चात् दिनांक 13/03/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
	13/03/26	पक्षकार प्रेषित। वकील उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी T.I. से संबंधित मूल वाद खारिज होकर है इसलिए प्रा० पत्र T.I. में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः प्रा०पत्र इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पक्षकारों के सब हुआ होकर उचित नम्बर से कम से बाद दाखिल करते हैं। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)